

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय/वृत्त/खण्ड कार्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबन्ध पर कार्मिक उपलब्ध करवाने हेतु श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर में पंजीकृत एजेन्सियों/समितियों से दिनांक 16.05.2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अनुबंधित कार्मिकों को पारिश्रमिक राशि का मासिक भुगतान निम्नानुसार देय होगा :-

क्र. सं.	पदनाम एवं पदों की संख्या	पारिश्रमिक राशि	साप्ताहिक अवकाश	ई.पी.एफ. 13%	ई.एस. आई. 3.25%	सेवा शुल्क	योग	जी.एस.टी. 18 %	महायोग
1	सोशल मीडिया विशेषज्ञ (04)	25000/-	3846/-	3250/-	937/-	1125/- (3.90 %)	34158/-	6148/-	40306/-
2	मल्टी टास्क वर्कर (27)	15000/-	-	1950/-	488/-	150/- (1 %)	17588/-	3166/-	20754/-
3	परि.अभि. कनिष्ठ (सिविल/विद्युत) (25 /02)	20,000/-	-	2600/-	650/-	200/- (1 %)	23,450/-	4,221/-	27,671/-
4	कुशल हैल्पर (64) /बागबान (02) / डीजल मैकेनिक (01)	7176/-	1104/-	933/-	269/-	323/- (3.90 %)	9805/-	1765/-	11570/-

नोट :-

- (1) आवासन आयुक्त द्वारा एजेन्सियों/समितियों को कार्य आवंटित किया जावेगा, जो एजेन्सियों/समितियों को मान्य होगा।
- (2) श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा उपरोक्त अनुबंधित कार्मिकों की पारिश्रमिक दरें बढ़ाने पर आवासन आयुक्त द्वारा पारिश्रमिक दरें संशोधित करने अथवा नहीं करने का निर्णय लिया जायेगा, जो समितियों को मान्य होगा।
- (3) अनुबंधित एजेन्सियों/समितियों को संबंधित कार्यालयों के नियंत्रक अधिकारियों से अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।
- (4) किसी एजेन्सी/समिति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवासन आयुक्त द्वारा एजेन्सी/समिति की सेवायें बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।


सचिव